**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 44/2021

**प्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

**अप्रार्थीगण**

1 नारायण बजाज पुत्र श्रीनिवास बजाज जाति माहेश्वरी निवासी बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर।
फर्मः– मैसर्स बजाज ब्रदर्स, ए–2 कृषि उपज मण्डी, जायल।

2 श्रीनिवास बजाज पुत्र जेठमल बजाज जाति माहेश्वरी निवासी बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर।
फर्मः– मैसर्स बजाज ब्रदर्स, ए–2 कृषि उपज मण्डी, जायल।

3 नरेन्द्र कुमार सेठिया पुत्र प्रेमराज सेठिया निवासी 223 राव दूदा मार्ग मेडतासिटी जिला नागौर।
फर्मः– प्रेमराज एण्ड सन्स, क्लोथ मार्केट, मेडतासिटी

4 श्रीमती सुनीता सेठिया पत्नी नरेन्द्र कुमार सेठिया निवासी नाहरों का धडा, मेडतासिटी।
फर्मः– पदमावती ट्रेडर्स, Shop of Uttam Chand sethia A, 01 Padmawati Traders Cloth Market, Near Sabji Mandi Merta City District Nagaur

5 दीपक मिश्रा पुत्र कैलाश चन्द्र मिश्रा निवासी 66, राज्य कर्मचारी कॉलोनी, शंकर कॉलोनी के पास, गंगानगर।
फर्मः–मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सी–27/बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, बासनी जोधपुर।

6 फर्मः–मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सी–27/बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, बासनी जोधपुर।

7 सुशील चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र आर सी श्रीवास्तव
मैसर्सः– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सर्वे नं. 217/2 ग्राम मीठी रोहर गांधी धाम कच्छ भुज (गुजरात)

8 मैसर्सः– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सर्वे नं. 217/2 ग्राम मीठी रोहर गांधी धाम कच्छ भुज (गुजरात)

**आदेश** दिनांक :18.09.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-10-2020 को मैसर्स बजाज ब्रदर्स, ए–2 कृषि उपज मण्डी, जायल पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1374 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/388/एक्ट /2020/175 दिनांक 31.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण नारायण बजाज पुत्र श्रीनिवास बजाज जाति माहेश्वरी निवासी बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर, श्रीनिवास बजाज पुत्र जेठमल बजाज जाति माहेश्वरी निवासी बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर, नरेन्द्र कुमार सेठिया पुत्र प्रेमराज सेठिया निवासी 223 राव दूदा मार्ग मेडतासिटी जिला नागौर, श्रीमती सुनीता सेठिया पत्नी नरेन्द्र कुमार सेठिया निवासी नाहरों का धडा, मेडतासिटी, दीपक मिश्रा पुत्र कैलाश चन्द्र मिश्रा निवासी 66, राज्य कर्मचारी कॉलोनी, शंकर कॉलोनी के पास, गंगानगर, मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सी–27/बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, बासनी जोधपुर, सुशील चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र आर सी श्रीवास्तव तथा रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सर्वे नं. 217/2 ग्राम मीठी रोहर गांधी धाम कच्छ भुज (गुजरात) ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

18/9/25

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 03-09-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 की ओर से श्री अभिजीत पंचारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दिनांक 29.12.2021 को अपना जवाब प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। हमने उक्त वनस्पति सिल बन्द हालत में मेडता की फर्म से खरीद किया था, जिस हालत में खरीदा उसी हालत में बेचता हूं। नहीं उत्पादकर्ता न ही निर्माता हूं। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने दिनांक 12.03.2022 को जुर्म स्वीकार कर अपने जवाब में बताया कि उक्त वनस्पति रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सी–27/बी, इण्डस्ट्रीयल से खरीदकर बेचता हूं। जैसा माल आता है उसी हालत में बेचता हूं। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने अपने जवाब पेश कर बताया कि भविष्य में वनस्पति बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 05 से 08 बार बार आवाजे लगवाई गई, मगर वे बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/388/एक्ट /2020/175 दिनांक 31.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.02.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (रूचि नम्बर–1, ब्राण्ड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 नारायण बजाज पुत्र श्रीनिवास बजाज जाति माहेश्वरी निवासी बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर, अप्रार्थी संख्या 02 श्रीनिवास बजाज पुत्र जेठमल बजाज जाति माहेश्वरी निवासी बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 नरेन्द्र कुमार सेठिया पुत्र प्रेमराज सेठिया निवासी 223 राव दूदा मार्ग मेडतासिटी जिला नागौर, पर रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 श्रीमती सुनीता सेठिया पत्नी नरेन्द्र कुमार सेठिया निवासी नाहरों का धडा, मेडतासिटी पर रूपये 50,000/– अक्षरे पच्चास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 05 दीपक मिश्रा पुत्र कैलाश चन्द्र मिश्रा निवासी 66, राज्य कर्मचारी कॉलोनी, शंकर कॉलोनी के पास, गंगानगर, अप्रार्थी संख्या 06 मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सी–27/बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–1, बासनी जोधपुर पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपय, अप्रार्थी संख्या 07 सुशील चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र आर सी श्रीवास्तव तथा अप्रार्थी संख्या 08 रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सर्वे नं. 217/2 ग्राम मीठी रोहर गांधी धाम कच्छ भुज (गुजरात) पर संयुक्त रूप से रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये, कुल रूपये 3,50,000/– अक्षरे तीन लाख पच्चास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)